


**बिहार सरकार**  
**सामान्य प्रशासन विभाग**  
**॥ अ धि सू च ना ॥**

पटना-15, दिनांक : 12 जुलाई, 2016

संख्या : 1/सी0-1020/2000-सा0 प्र0-9599/विभागीय संकल्प ज्ञापांक-9598  
दिनांक-12.07.2016 के आलोक में श्री रामाशंकर तिवारी, भा0प्र0से0(1969)-सेवानिवृत्त को  
श्रीमती लक्ष्मी सिंह, भा0प्र0से0( बी एच:1970)-सेवानिवृत्त को, आयुक्त एवं सचिव ग्रेड और स्थिर  
वेतनमान (मुख्य सचिव स्तर) में प्रदत्त प्रोन्नतियों की तिथियों से उक्त ग्रेडों में मात्र वैचारिक  
प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

2. श्री तिवारी को इन प्रोन्नतियों से आच्छादित कोई बकाया देय नहीं होगा, परन्तु,  
अनुमान्य वेतन निर्धारण के अनुसार पेंशन पुनरीक्षण संबंधी लाभ देय होंगे।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,

  
12/7/16  
(कन्हैया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : 1/सी0-1020/2000-सा0 प्र0-9599/पटना-15, दिनांक : 12 जुलाई, 2016

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार  
राजपत्र में प्रकाशनार्थ/सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नयी  
दिल्ली/संस्थापन पदाधिकारी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई  
दिल्ली/कैरियर मैनेजमेंट डिवीजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई  
दिल्ली/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/महालेखाकार,  
बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव, पटना/संबंधित  
विभाग/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार,  
पटना/मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/श्री रामाशंकर तिवारी,  
भा0प्र0से0 (बी एच:69)-सेवानिवृत्त, सी-8/8181, बसंत कुंज, नई दिल्ली-110 070/अवर  
सचिव(वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य  
प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0  
के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी (प्रशाखा-1 एवं  
प्रशाखा-6) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
12/7/16

सरकार के अवर सचिव